Note # 1

कार्यालय बाँदा विकास प्राधिकरण , बाँदा

पत्रांकः- /बाँ0वि0प्रा0/2025-26 /दिनांक 2025

सार्वजनिक सूचना

प्रमुख सचिव, उत्तरप्रदेश शासन, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 1323/2025/8-3099/208/2025 दिनांक 04.07.2025 के द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (समय-समय पर यथा संशोधित), शमन उपविधि 2009, आदर्श जोनिंग रेगुलेशन से सम्बन्धित शासनादेशों को अवक्रमित करते हुये उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 57 के अन्तर्गत, " उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां 2025 एवं धारा 13(2) के अन्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन-2025 पर अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

अतएव मा0 राज्यपाल महोदय द्वारा उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 41(1) में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत समस्त विकास प्राधिकरणों को उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन- 2025 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये है।

अतः निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन- 2025 लागू किये जाने की स्वीकृति मा0 बोर्ड द्वारा परिचालन के माध्यम से प्रदान की जा चुकी है।

अतः मा0 बोर्ड के द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 57 के अन्तर्गत, " उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां 2025 एवं धारा 13(2) के अन्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन-2025 के अनुसार मानचित्र स्वीकृत किये जाने के आदेश जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष महोदया द्वारा निर्गत किया जा चुका है।

सचिव
बाँदा विकास प्राधिकरण
बाँदा

पत्रांक /तद्दिनांक

प्रतिलिपि- जिला सूचना अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सार्वजनिक सूचना को जनहित हेतु बांदा शहर के समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

सचिव
बाँदा विकास प्राधिकरण
बाँदा

19/07/2025 02:49 pm

MADAN MOHAN VERMA
SECRETARY
Digitally Signed

File No. BNDA/12/2025-SECY-BNDA (Computer No. 453411)

Scanned with OKEN Scanner